

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ज्योतिबाफूलेनगर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, ललितपुर, महोबा, मथुरा, कौशाम्बी, झांसी,
अलीगढ़, रायबरेली, महामायानगर, चन्दौली, गाजियाबाद, जालौन,
हमीरपुर, मिर्जापुर, काशीरामनगर, मऊ, बिजनौर, प्रतापगढ़, औरैया, एटा, सोनभद्र,
जौनपुर, बागपत, कानपुर देहात, उन्नाव, मुरादाबाद, मेरठ, संतरविदासनगर,
शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, गाजीपुर, श्रावस्ती, आगरा एवं बौदा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ०७ नवम्बर, 2008

विषय:- वर्ष 2008-09 में आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष स्वीकार किये
गये समर्पण की सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2008-09 में
अनुदान संख्या-51 लेखा शीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-
आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से
व्यय-42-अन्य व्यय" के अंतर्गत आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष जनपदों
से प्राप्त निम्नांकित अप्रयुक्त एवं अवशेष धनराशि का समर्पण शासन द्वारा स्वीकार कर
लिया गया है :-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० स०	जनपद का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	आवंटित धनराशि	शासन द्वारा स्वीकार की गयी समर्पित धनराशि
1	ज्योतिबाफूलेनगर	146/दे०आ०सहा०/०८, दि० 24.10.08	341.50	315.00

2	मुजफ्फरनगर	1643/तेरह-मिस/08-C9, दि0 25.10.08	161.50	142.18
3	रामपुर	699/दै0आ0, दि0 24.10.08	260.00	63.74
4	ललितपुर	241/3-सी0आर0ए0(2008-09), दि0 24.10.08	989.33	488.79
5	महोबा	134/सी0आर0ए0-13-दै0आ (2008-09), दि0 27.10.08	2299.65	559.15
6	मथुरा	3015/तीन-बी0/दै0आ0/ 08, दि0 24.10.08	161.50	103.50
7	कौशाम्बी	308/दै0आ0, दि0 24.10.08	161.50	86.50
8	झांसी	95/मु0रा0आ0-3/13/दै0 आ0/आवंटन-व्यय/08-09, दि0 21.10.08	916.13	373.31
9	अलीगढ़	871(1)/दै0आ0-बजट-08-09, दि0 24.10.08	161.50	108.87
10	रायबरेली	1425/सी0आर0ए0-दै0आ0- धनावंटन-समर्पण/08, दि0 24.10.08	691.50	100.00
11	महामायानगर	791/दै0आ0, दि0 25.10.08	161.50	133.00
12	चन्दौली	163/आपदा राहत-08, दि0 24.10.08	161.50	77.62
13	गाजियाबाद	1685/सी0आर0ए0/08, दि0 24.10.08	161.50	140.00
14	जालौन	708/3-सी0आर0ए0, दि0 27.10.08	1008.63	285.44
15	हमीरपुर	129/सी0आर0ए0-तेरह-सूखा राहत, दि0 17.10.08	2094.88	533.85
16	मिर्जापुर	97/तेरह-दै0आ0(मु0रा0ले0), दि0 27.10.08	702.68	453.37
17	काशीरामनगर	375/एस0टी0-08, दि0 27.10.08	186.50	148.91
18	मऊ	978/आपदा-मऊ, दि0 27.10.08	841.50	579.00
19	बिजनौर	418/तीन-सी0आर0ए0 (आपदा), दि0 27.10.08	160.00	81.84
20	प्रतापगढ़	335/सी0आर0ए0-दै0आ0-08, दि0 27.10.08	170.42	0

SAMARPAN

2



21	औरैया	520 / सी0आर0ए0-दै0आ0- बजट / 08, दि0 27.10.08	160.00	0
22	एटा	1295 / सी0आर0ए0-दै0आ0- बजट-08-09, दि0 27.10.08	301.50	239.40
23	सोनभद्र	249 / मु0रा0ले0-दै0आ0-08- 09, दि0 27.10.08	525.70	369.89
24	जौनपुर	567 / आपदा-जौनपुर, दि0 27.10.08	301.50	210.00
25	बागपत	3588 / सी0आर0ए0-दै0आ0, दि0 27.10.08	131.50	117.52
26	कानपुर देहात	40 / सी0आर0ए0-दै0आ0 / 08-09, दि0 25.10.08	331.50	0
27	उन्नाव	3781 / सी0आर0ए0-5, दि0 27.10.08	801.50	161.48
28	मुरादाबाद	1996 / प्रा0आ0सहा0-08, दि0 27.10.08	161.50	79.00
29	मेरठ	632 / सी0आर0ए0 / सहा0- बजट, दि0 25.10.08	161.50	147.24
30	संतरविदासनगर	262 / 13-अभाव-सी0आर0ए0 दि0 27.10.08	301.50	246.50
31	शाहजहाँपुर	3225 / सी0आर0ए0(आपदा), दि0 27.10.08	1396.74	148.24
32	बुलंदशहर	मीमो / मु0रा0ले0 दि0 31.10.08	161.50	131.50
33	गाजीपुर	206 / 13-आपदा-2008, दि0 24.10.08	300.00	175.72
34	श्रावस्ती	569 / आपदा-तेरह-समर्पण- 2008, दि0 31.10.08	405.96	245.02
35	आगरा	86 / वि0लि0, दि0 23.10.08	211.50	97.42
36	बौदा	905 / दैवी आपदा-बजट, दि0 24.10.08	1401.10	765.75
		योग	18847.72	7908.75

2. कृपया दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता जनपद स्तर पर रोकी गयी धनराशि से किया जाय, परन्तु कोषागार नियम-27 से धनराशि का आहरण कदापि न किया जाय। राहत वितरण हेतु धनराशि की आवश्यकता होने पर शासन को



धनावंटन प्रस्ताव अविलम्ब पत्र वाहक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी / राजस्व अनुभाग-10 को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय
(जी०के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या - 5099 (1)/1-10-2008-12(86)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग -6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(शशिर कुमार यादव)
उप सचिव